क्षेत्रीय कार्यालय
छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मण्डल
कबीर नगर व्यवसायिक परिसर, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल कॉलोनी,
कबीर नगर, रायपुर (छ.ग.)

Success Story

औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, रायपुर मे जी.आई. उद्योग पर विभाग की बड़ी कार्यवाही

माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रमुख पीठ, नई दिल्ली द्वारा अपने विभिन्न आदेशों मे नदियों को प्रदूषण मुक्त करने हेतु जल प्रदूषण नियंत्रण के विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए गये है। इस परिपेक्ष्य मे मण्डल द्वारा उद्योगों से होने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रित कर प्राकृतिक जल स्त्रोतो के संरक्षण तथा संवर्धन हेतु निरंतर प्रयास किये जा रहे है। इस परिपेक्ष्य में क्षेत्र के जल प्रदूषणकारी उद्योगों का कार्यालय द्वारा सतत् निरीक्षण कर उल्लंघनकारी उद्योगों के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है। इस अनुक्रम मे दिनांक 21.06.2021 को उद्योग मे0 लक्ष्मी कृपा स्टील्स एंड पॉवर प्रा. लिमिटेड (वायर ड्राईंग एंड गैल्वेनाईजिंग यूनिट) ग्राम सोन्ड्रा, रायपुर का निरीक्षण कार्यालय के अधिकारियों एवं दल द्वारा किया गया, जिसमे उद्योग परिसर मे दूषित जल का अत्यधिक निस्सारण तथा जमाव से जल प्रदूषण की गंभीर स्थिति पाई गई थी। तत्संबंध मे उद्योग के विरूद्ध कार्यालय द्वारा जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा निवारण) अधिनियम 1974 की धारा 33 'क' के तहत् निर्देश दिनांक 22.06.2021 जारी कर विद्युत विच्छेदन तथा उत्पादन बंद कराने की कार्यवाही की गई थी। निर्देश के प्रभाव से उद्योग ने उत्पादन बंद कर निस्सारित दूषित जल को स्थापित ई.टी.पी. मे लेकर उपचारित किया, लगभग 20 मीट्रिक टन चूने का उपयोग कर स्थल को न्यूट्रिलाईज किया तथा स्थल पर लगभग 2000 मीट्रिक टन फिलिंग मटेरियल से भू भराव कर समतलीकरण का कार्य किया। जिससे उद्योग मे स्थिति सामान्य हो गई। कार्यालय द्वारा क्षेत्र के जल प्रदूषकारी उद्योगों की सतत निगरानी एवं उल्लघंन पर कार्यवाही सुनिश्चित कर क्षेत्र के नदी—नालों के संरक्षण हेतु निरंतर प्रयास किये जा रहा है।

उद्योग मे दिनांक 21.06.2021 को पायी गयी जल प्रदूषण की स्थिति	उद्योग मे दिनांक 02.07..2021 को पायी गयी सुधार की स्थिति